राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.2(2)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 25 MAY 2022

आदेश

विषय: दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत।

दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए माह अप्रेल 2022 के वेतन से (1 मई 2022 को देय) Rajasthan Government Servants' General Provident Fund Rules, 2021 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(1)वित्त/नियम/2008 दिनांक 7–2–2018 तथा इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाले अधिसूचनाओं / आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती की जायेगी। माह अप्रेल 2022 एवं माह मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से (1 जून 2022 को देय) की जावेगी।

इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना व्यक्तिशः सुनिश्चित कराई जावे।
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

25/5/22
(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(GPF 01 / 2022)